

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- फार्मासिस्ट/एसीपी आक्षेप/18230/2024/48

दिनांक: 26-03-2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक/सिरोही।

**विषय:-** फार्मासिस्ट कार्मिकों के 9 वर्षीय एसीपी के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत निम्नलिखित फार्मासिस्टों के 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं जिन्हे मूल ही आपको भिजवाकर लेख है कि उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें: -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1.	श्री उम्मेद राम	सब जेल डिस. आबूरोड	कार्मिक के सेवापुस्तिका एवं स्थाईकरण आदेश में नाम में भिन्नता है।
2.	श्री त्रिपति पाल मीणा	पीएचसी, करेड़ाबुर्जुग, टोंक	कार्मिक के स्थाईकरण आदेश में प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.07.2012 है जबकि कार्मिक के सेवापुस्तिका में 27.07.2012 मध्यान् पश्चात् अंकित है।

(डॉ. आशुतोष गर्ग)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- फार्मासिस्ट/एसीपी आक्षेप/18230/2024/

दिनांक:

**प्रतिलिपि:-** प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
6254862



Digitally signed by Ashutosh Garg  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.03.22 17:30:55 IST  
Reason: Approval